

2

अंचल अधिकारी होप-जांची कार्यालय

अभिलेख वाद संख्या-36 (VI) 2016-17

वाद का प्रकार- बिहार (झारखण्ड) भूमि सुधार अधि० 1950 की धारा 4(h) के तहत जांच एवं कार्रवाई से संबंधित।

झारखण्ड सरकार के झापांक-2074/रा०, दिनांक-13.05.2016 सहपठित-श्री अनुज मुखर्जी, निदेशक, भू-अर्जन-सह-विशेष सचिव, राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग का पत्र संख्या-3-खा०म०नि०-119/85/2308/रा०, दिनांक-03.09.1985 एवं सह-पठित राजस्व विभागीय, परिपत्र संख्या-914/रा०, दिनांक-09.12.1998 में निहित निदेश के अनुपालन में गैरमजरूआ खास भूमि की कायम की गयी जामबंदियों की जांच प्रारंभ की गयी। जांच के क्रम में हल्का राजस्व कर्मचारी एवं अ०नि०द्वारा प्रतिवेदित किया गया है कि निम्नांकित विवरणी की भूमि :-

मौजा-हनुमानगोडा थाना-130 खाता संख्या-36 प्लॉट संख्या-358
रकबा-1.08 एकड़ की भूमि जो गैरमजरूआ खास, अनाबाद विहार (झारखण्ड) सरकार के खाने की सरकारी भूमि है, जिसकी जमाबंदी उरस मौजा के पंजी-11 के जिल्द संख्या-1 के पृष्ठ संख्या-97 पर जमाबंदी रैयत हेपा आंजी पिरा के नाग से कायम है। रुबा आंजी

हल्का कर्मचारी एवं अंचल निरीक्षक द्वारा जांचोपरान्त उपर्युक्त विवरणी की भूमि के विरुद्ध कायम जामबंदी को संदिग्ध प्रतिवेदित किया गया है।

हल्का कर्मचारी एवं अंचल निरीक्षक द्वारा समर्पित जांच प्रतिवेदन से प्रतीत होता है कि उपर्युक्त जमाबंदी बिना सक्षम प्राधिकार के आदेश के/ अवैध बंदोबस्ती के आधार पर/ अवैध कोड़कर बंदोबस्ती के अधार पर/ अवैध लगान निर्धारण के अधार पर/ सादा हुकुमनामा के आधार पर, कायम की गयी है, जिसका उद्देश्य निजी लाभ एवं राज्य को क्षति कारित करना है।

प्रथम दृष्टया उपर्युक्त से स्पष्ट होता है कि उपर्युक्त विवरणी की जमीन की सृजित जमाबंदी अवैध प्रतीत होती है, जिसका बिहार (झारखण्ड) भूमि सुधार अधिनियम 1950, की धारा 4(h) के तहत जांच किया जाना वांछनीय प्रतीत होता है।

अतएव, संबंधित जमाबंदी रैयत को नोटिस निर्गत कर उपर्युक्त भू-खण्ड से संबंधित मूल दस्तावेजों/निर्गत लगान रसीद की मांग करें तथा उनको कारण-पृच्छा करें, कि क्यों नहीं उक्त जमाबंदी को अवैध मानते हुए इसे बिहार (झारखण्ड) भूमि सुधार अधिनियम 1950 की धारा 4(h) के तहत सक्षम प्राधिकार को रद्द करने हेतु अनुशंसित किया जाय।

अभिलेख दिनांक-03/8/16 को उपस्थापित करें।

लेखापित एवं संशोधित
अंचल अधिकारी


होप-जांची
अंचल अधिकारी

अभिलेख उपस्थापित किया गया। आम इस्तेहार का तमिला प्राप्त है। किसी व्यक्ति द्वारा कोई आपत्ति निर्धारित समय - सीमा के अंदर समर्पित नहीं किया गया है। उपरोक्त जाँच प्रतिवेदन का मैंने स्वयं स्थल निरीक्षण किया एवं सहमत हूँ। उक्त अभिलेख मौजा करनगोडा..... थाना नं० 130.....खाता नं०

3.6..... प्लॉट सं० 358.....

रकबा 1.00 4.121 1.5112 माली 2. (144 माली) माली एकड़ भूमि के पूर्व रैयत के पिता/प्रति साकिम

करनगोडा..... के नाम से नियमितीकरण करने हेतु मूल अभिलेख भूमि सुधार उपसमाहर्ता, धनबाद के माध्यम से अनुमंडल पदाधिकारी, धनबाद को भेजे।


अंचल अधिकारी,
तोपचौची।